

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद-लखीमपुर खीरी के उत्तरी खीरी वन प्रभाग में सिसैया धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के किमी0 83.00 से किमी0 109.40 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 26.40 किमी0 तथा 0.2760 हे0 संरक्षित वन भूमि HDD Method से भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में ।(प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/69876/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के

शासनादेश-पी-27 / 81-2-2021-800(20)/2021 दिनांक-17

मार्च, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(एउपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

17-03-2021

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।